नम्बर / वर्ष 89 / 2018 अनवानी सतपाल बनाम बृजलाल

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
18-5-26	आदेश 06 नियम 17 सीपीसी , आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी , आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का था जिसमें खाता विभाजन की रिपोर्ट में पक्षकारो का मिलान नही होना अंकित है क्योकि कि भूपसिह का देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है जिन्हे बतौर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा अशोक कुमार का नाम चक 18 एनटीआर की भूमि में अंकित नही होने के कारण इसका नाम विलोपित किया जाना है उक्त संशोधन के अलावा केवल 18 एनटीआर की खाता संख्या 23/24 की 2.0250हैक्ट का खाता विभाजन करवाना चाहते है अन्य भूमियो के सम्बध मे अन्य वाद न्यायालय में विचाराधीन है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक पक्षकारो को समायोजित करते हुए संशोधित वाद पेश करने की अनुमति फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पेश कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर से चाहे जाने पर तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री व जमाबन्दी में पक्षकारो का मिलान नही होना अंकित किया गया जिस पर वादी ने जमाबन्दी अनुसार पक्षकारो को पक्षकार बनाये जाने के लिये दिनांक 18.07.2025 को अवगत करवाया गया था किन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2026 को पेश किया गया है वादीगण को न्यायालय द्वारा काफी समय पूर्व ही आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु वादी/प्रार्थी ने काफी देरीना से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है पक्षकारो के देरीना के कारण ही प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है जो न्यायोचित नही है वादी में चक 18 एनटीआर के दो खातो का खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था उसी के अनुसार वाद प्राथमिक डिक्री किया गया था प्रार्थी/वादी अब दो खातो में से एक खाता का अनुतोष चाहता है जो विधि सम्पत नही है क्योकि एक खाता का अनुतोष अंकित करने पर पूर्व वाद की सम्पूर्ण नोईयत अनुतोष ही प्रभावित होगा और पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री भी प्रभावित हो जावेगी जो न्यायाचित नही है वादी हस्तगत वाद में पक्षकारो का समय पर समायोजित करवा सकता है ना की वाद का सम्पूर्ण अनुतोष ही प्रार्थना पत्र के आधार पर बदलवाने का अधिकारी नही है। वादी यदि एक खाता का अनुतोष चाहता है तो वह सम्पूर्ण पक्षकारो के साथ पूनः वाद पेश कर खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर सकता है हस्तगत वाद में किसी प्रकार का परिवर्तन /पक्षकार समायोजित करने का अधिकारी नही है वादी का दायित्व था की यदि पक्षकारो में परिवर्तन होना है तो उन्हे पक्षकार बनाने के लिये अलग से प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। अतः प्रार्थना [illegible] 6 [illegible] सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जा[illegible] है [illegible]था हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकार समायोजित नही होने के कारण वाद इसी स्तर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थ[illegible] उभयपक्ष [illegible] अपना वहन करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested